

आहरण एवं वितरण अधिकारी/  
संयुक्त निदेशक (पं0)  
पंचायतीराज निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया अनु सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-51/2021/1378/33-3-2021-100(10)/2020 दिनांक 27.08.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 25595.08 लाख के सापेक्ष अनुदान सं0-14 में पूंजीगत मद में शासनादेश सं0-33-3002/2021-3/33-3-2021-1422857 दिनांक 12.11.2021 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 1666.67 लाख (रू0 सोलह करोड़ छियासठ लाख सरसठ हजार मात्र) उक्त शासनादेश दिनांक 12.11.2021 में निहित निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त की गयी है।

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि रू0 1666.67 लाख (रू0 सोलह करोड़ छियासठ लाख सरसठ हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित किया जाता है-

- 1- नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का व्यय पूंजीगत एवं राजस्व मद की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
- 2- आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व नोडल अधिकारी का होगा। आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
- 3- प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- 4- धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/दिशा-निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा आवंटित की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।
- 5- आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है तो अर्जित ब्याज को नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।
- 6- आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।
- 7- आवंटित की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 8- आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जाये।
- 9- धनराशि के आहरण/व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं अन्य वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- आवंटित की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।
- 11- भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आर0जी0एस0ए0) की गाईडलाइन के अनुसार भारत सरकार से पूंजीगत मद में अनुदान सं0-14 के लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-101-पंचायतीराज-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0104-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आर.जी.एस.ए.) (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में मैचिंग राज्यांश कुल धनराशि रू0 1666.67 लाख (रू0 सोलह करोड़ छियासठ लाख सरसठ हजार मात्र) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से बैंक ऑफ

बड़ौदा, गोमतीनगर में खोले गये खाता सं०-31860100018092, आई०एफ०एस०सी० कोड-BARBOAVALUC में जमा किया जायेगा।

- 12-नोडल अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि नहीं की गयी है और नहीं यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- 13-नोडल अधिकारी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित अन्य शर्तों/उपबन्धों का समावेश स्वस्तर से कर लेंगे।
- 14-आवंटित की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2020 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन का दायित्व आपका होगा।
- 15-यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०सं०-ई-2-1945/दस-2021-2022 दिनांक 09.11.2021 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-118 पर अंकित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(अनुज कुमार झा)  
निदेशक,

पंचायती राज, उ०प्र०।

संख्या:-1/शा०/41/1/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अनु सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 12.11.2021 के क्रम में।
2. विशेष वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
3. विशेष सचिव, वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग उ०प्र० शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
6. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० प्रयागराज।
7. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र०, प्रयागराज-21100।
8. उपनिदेशक (पं०), योजना प्रभारी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9. एस०पी०एम०यू०, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,  
पंचायती राज, उ०प्र०।

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2021-2022  
आवंटन दिनांक-26/11/2021


प्रेषण संख्या:- 1-sha-41-2021-1-136-2021  
आवंटन आदेश संख्या:- 002-1-136-2021  
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेतर-मतदेय)  
101 - पंचायती राज  
01 -  
04 - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) (के.60/रा.40-के.+रा.)  
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	166667000 416667000	166667000 416667000
	योग	वर्तमान प्रगामी	166667000 416667000	166667000 416667000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ छियासठ लाख सरसठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इक्तालीस करोड़ छियासठ लाख सरसठ हजार

②

  
(बृजेश कुमार)  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी